न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 01/2011 प्रा.प.

उनवान

1. स्व. श्री खेतपुरी पिता प्रतापपुरी गुसाई मृतक के बजाय
   1/1 श्री शंकरपुरी पिता स्व. खेतपुरी गुसाई उम्र बालिग
   1/2 श्री भगवानपुरी पिता स्व. खेतपुरी गुसाई उम्र बालिग
   1/3 श्री प्रकाशपुरी पिता स्व. खेतपुरी गुसाई उम्र नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती सुरजबाई पत्नी स्व. श्री खेतपुरी गुसाई
   1/4 श्रीमती केसर पुत्री स्व. खेतपुरी गुसाई उम्र बालिग
   1/5 श्रीमती सुरजबाई पत्नी खेतपुरी गुसाई उम्र बालिग
2. श्री गौतम पुरी पिता प्रताप पुरी गुसाई मृतक के बजाय का.मु. वारिस विपक्षी सं. 8, 9, 10।
3. श्री नवलपुरी पिता प्रतापपुरी गुसाई मृतक के बजाय
   3/1 श्रीमती जमनाबाई पत्नी स्व. प्रतापुरी गुसाई उम्र बालिग
4. स्व. श्री प्रतापपुरी पिता मानपुरी गुसाई मृतक के बजाय 3/1 श्रीमती जमनाबाई पत्नी स्व. प्रतापुरी गुसाई उम्र बालिग

सभी निवासी सेदडी पटवार हल्का बनोडा तहसील सलूम्बर जिला सलूम्बर (राज.)।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री केवा पिता रोडजी डांगी उम्र बालिग
2. श्री काना पिता नाथूजी डांगी उम्र बालिग
3. श्री नानजी पिता तेजी डांगी उम्र बालिग
4. श्री नाथू पिता नानजी डांगी उम्र बालिग
5. श्री खेमा पिता धुला डांगी उम्र बालिग
6. श्री गोता पिता लालाजी डांगी उम्र बालिग
7. श्री गोता पिता कानाजी डांगी उम्र बालिग
8. श्री रमेशपुरी पिता स्व. गोतमपुरी गुसाई उम्र बालिग
9. हेमलता पुत्री स्व. गोतमपुरी गुसाई उम्र बालिग
10. श्रीमती देवी बाई पत्नी स्व. गोतमपुरी गुसाई उम्र बालिग

सभी निवासीयान सेदडी पटवार हल्का बनोडा हाल तहसील झल्लारा हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1, 2 व धारा 151 जा.दी. एवं धारा 212 आर.टी.ए एक्ट

–::निर्णय::–

उपस्थितिः– श्री सुनील कुमार चंदावत अधिवक्ता–प्रार्थीगण
श्री गोपाल चौबीसा– विपक्षी संख्या 1 से 5 तक
विपक्षी संख्या 6 लगायत 10 – एक पक्षीय

दिनांकः– 15/10/2024

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व आदेश 39 नियम 1, 2 एवं सपठित धारा–151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 से 3 तक के शामलाती खोदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम सेदडी पटवार हल्का बनोडा हाल तहसील झल्लारा मे स्थित है जिसके खाता संख्या 19 आराजी नम्बर 1137, 1138, 1139, 1143 कुल किता 04 रकबा 0.75 हैक्टेयर है तथा प्रार्थी संख्या 4 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 59 आराजी नम्बर 1134, 1136, 1140, 1846/1134 कुल किता 04 रकबा 0.50 हैक्टेयर है। जिस पर प्रार्थीगण उक्त भूमि पर काबिज है और हर वर्ष उक्त भूमि पर खेती बाडी करते है। उपरोक्त वर्णित भूमि में विपक्षीगण का किसी प्रकार का कोई हक, हिस्सा नही तथा विपक्षीगण जो कि डांगी जाति के लोग है, प्रार्थीगण को अपने पास नही रहने देना चाहते है आये दिन प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देते है अभी 10 दिन पूर्व दिनांक 07–11–2011 को विपक्षीगण ने प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी है तथा पूर्व में भी बाड काट दी थी। इस कारण से प्रार्थीगण को विपक्षीगण के विरूद्ध मूलवाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण के पक्ष में मजबूत प्रथम दृष्टया प्रकरण है एवं सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र मे विर्णत भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा मकानात बने हुए है। इस कारण से प्रार्थीगण के पक्ष में तुरन्त ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो प्रार्थीगण को भारी क्षति होगी। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेंधाज्ञा जारी की जावे. कि विपक्षीगण उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित कलम संख्या 2, 3 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण को कृषि कार्य करने में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नही करे। विपक्षीगण उक्त भूमि में स्थित खडी फसल, पेडो आदि को व मकान आदि को कोई नुकसान नही पंहुचावे। उक्त कृत्य विपक्षीगण स्वयं करे एवं नही करे एवं न अपने नौकर, चाकर व एजेन्ट, परिवारजन आदि से करावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 19–01–2011 को प्रार्थीगण को एकपक्षी सुना जाकर न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारि की गई। आदेशिका दिनांक 31–03–2021 को गैर हाजिर रहने से विपक्षी संख्या 8, 9, 10 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल चौबिसा ने वकालतनाम पेश किया एवं जवाब पेश कर अंकित किया कि– प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 एक में वर्णित कृषि भूमि मौजा सेदडी पटवार हल्का बनोडा के खाता संख्या 19 में स्थित होना स्वीकार हैं जो प्रार्थीगण की नही होकर श्री केवा पिता लाला डांगी जो इस वाद में पक्षकार नहीं हैं उसकी एवं विपक्षी सं. 5 खेमा द्वारा साबिक आराजी नम्बर 158, 380, 156, 157 कुल खेत 3 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा को अन्य कृषि भूमि के साथ पूर्व खातेदार सर्व श्री दयाशंकर, उदयशंकर, रमेशचन्द ब्रा. निवासी उदयपुर से जरिये रजि. विक्रयपत्र के तारीख 22–02–1978 को उनका पुरा 1/2 आधा हिस्सा खरीदा हैं जिसके हाल आराजी नम्बर 1137/0.14, 1138/0.27, 1139/0.02 कुल खेत 2 रकबा 0.43 हैक्टेयर है हाल आराजी नम्बर 1143 रकबा 0.32 हैक्टेयर, आराज़ी नम्बर 1146 से 154 रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा से बने है इसलिये इस भूमि पर प्रार्थीगण का आज तक कभी कब्जा नही रहा हैं एवं उक्तभूमि के एकमात्र खातेदार काश्तकार श्री केवा पिता लाला डांगी निवारसी सेदडी एवं विपक्षी संख्या 5 खेमा डांगी है एवं इस भूमि से प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध हक, हिस्सा अथवा आधिपत्य आदि आज तक नही हैं प्रार्थीगण बिना कब्जे के एवं बिना घोषणा के वाद के इस स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि खाता संख्या 59 प्रार्थी संख्या 4 चार प्रतापपुरी के खाते में कुल किता 4 रकबा 0.50 हैक्टेयर भूमि में प्रतापुरी ने रास्ते की भूमि गैर कानूनी तौर से एलोट करा दी है जिसकी अपील अति. जिला कलक्अर के न्यायालय में एलोटमेन्ट निरस्त कराने का प्रकरण विचाराधीन हे इसलिये इस पेरा में वर्णित भूमि का प्रार्थी संख्या 4 खातेदार होना स्वीकार नही है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला नही हैं एवं नही सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में हैं वादग्रस्त कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 5 व केवा पिता लाला डांगी का जब से पूर्व खातेदारो से इस प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित भूमि सन् 1978 मे खरीदी है तब से लगाकर आज तक विपक्षी संख्या 5 व केवा पिता लाला डांगी का कब्जा काश्त चला आ रहा है इसलिये बिना कब्जा प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी नही है।

विपक्षीगण ने विशेष कथन कर अंकित किया कि प्रार्थीगण ने यह वाद प्रार्थी 1 से 3 के अलग खाते की भूमि का हम विपक्षी संख्या 1 व 5 पर व अन्य विपक्षी संख्या 2, 3, 4, 6, 7 पर पेश किया है जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में दे रखा है. एवं प्रार्थी संख्या 4 के खाते की भूमि का विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में दे रखा है। इसलिये प्रार्थी संख्या 1, 2, 3 के साथ प्रार्थी सं. 4 को इस प्रार्थना पत्र एवं वाद मे गलत रूप से संयोजित कर यह वाद पेश किया है जिससे प्रार्थीगण का यह वाद एवं प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त के है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के 1/2 हिस्से के एकमात्र खातेदार काश्तकार केवा पिता लाला डांगी को इस वाद में प्रार्थीगण ने पक्षकार नही बनाया है जिस कारण से प्रार्थीगण किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 1 से 5 के विशेष कथन का जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीगण दावा एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के वक्त भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का है। भूमि के खातेदार काश्तकार केवा पिता लाला डांगी व विपक्षी संख्या 5 खेमा डांगी का होना कतई गलत अंकित किया है प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। जवाब प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में रास्ते की भूमि को प्रतापुरी द्वारा एलोट कराने का कथन गलत है, मौके पर वादग्रस्त भूमि पर कोई रास्ता न तो पहले कभी था न आज ही है, रास्ता पास में ही अलग से बना हुआ है जो आज भी रास्ता कायम है। प्रार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है, प्रार्थी संख्या 1, 2, 3 के पिता विपक्षी संख्या 4 है व शामलाती कब्जा काश्त होने से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी बाधा नही है तथा अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता कानूनन नहीं है। प्रार्थीगण भूमि के रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, मौके पर कोई रास्ता विद्यमान नहीं है रास्ता बिल्कुल अलग है जहा से ट्रेक्अर, बैलगाडी, हल आदि आसानी से आते जाते है, विस्तृत विवरण प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया एवं कथन किया कि हम प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है विपक्षीगण हमारी भूमि हडपने की कोशिश कर रहे है। हमारे पक्ष में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है जिसे मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया जावे।

अधिवक्ता विपक्षीगण ने बहस मे कथन किया कि विवाद भूमि खसरा नम्बर 159 का है जो रास्ता है एवं आवंटन कर दिया है। जब भूमि आवंटन हुई तब भी मेवाड सेटलमेन्ट लगायत भूमि रास्ता है उक्त रास्ता 9 एयर का है व भूमि पूरी की पूरी किस्म रास्ता था।

के कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

रास्ता किस्म की भूमि कैसे आवंटन की जा सकती थी। इनका मूल वाद धारा 188 का है। नक्शे मे भी भूमि रास्ता है। मै रिकार्ड की प्रतियां दे रहा हू। अतः रास्ते पर अस्थाई निषेधाज्ञा नही दी जा सकती हैं।

बहस मनन की गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का अवलोकन किया। पत्रावली जमाबंदी संवत् 1994 मेवाड सेटलमेन्ट आराजी नम्बर 158 किस्म रास्ता अंकित है। उक्त रास्ता किस्म की भूमि का आवटंन प्रतापपुरी पिता मानपुरी गुसाई हो होना जाहिर आया है। अतः रास्ता किस्म की भूमि पर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायाहित मे न्यायालय उचित नही समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 सपठित धारा 151 जा.दि. का खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 15/10/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर